भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website:www.bsgmp.net E_mail:bsgmadhypradesh@gmail.com Phone ☎: 2661263, Fax: 2737446

क्र0/1578 /रा0मु0/प्रशि.स्का./2018 भोपाल, दिनांक 25-6-18

प्रति,

1 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
पदेन जिला जिला मुख्य आयुक्त
जिला ....(म0प्र0) ।

2 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय .... (म0प्र0) ।

विषय :– सेल्फलर्निंग मॉडुलर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बाबत् ।

सन्दर्भः– राज्य के वार्षिक कार्यक्रम 2018–19के अनुसार ।

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर सेल्फ लर्निंग मॉडुलर शिविर 10 जुलाई से 31 जुलाई 2018 के मध्य आयोजित कर सूची एवं प्रतिवेदन दिनांक जुलाई 2018 तक ई–मेल डाक द्वारा प्रेषित करें ।

सेल्फ लनिंग मॉडुलर शिविर में प्रतिभागियों से पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रू0 100/– प्रति सदस्य लिया जावे । जिसमें से 50 रूपये स्काउटिंग/गाइडिंग के हेण्ड आउट, स्वल्पाहार एवं 50 रूपये की राशि राज्य मुख्यालय के खाते में जमा कर जमा पर्ची की पावती प्रतिवेदन सूची एवं बेसिक शिविर हेतु सहमति पत्र के साथ संलग्न कर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

सेल्फ लनिंग मॉडुलर शिविर में समस्त शासकीय/अशासकीय प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय / हाईस्कूल / उ0मा0विद्यालय / आवासीय विद्यालय एवं आदिवासी/अनुसूचित जाति छात्रावासों के अधीक्षक/शिक्षक/शिक्षिका भाग ले सकेगें । अशासकीय विद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें। भाग लेने वाली शिक्षिकाओं की सूची पृथक से तैयार कर भेजे।

सेल्फ लनिंग मॉडुलर शिविर में व्यय निम्नानुसार होगा–

1 प्रतिभागी विद्यालय के स्काउट–गाइड निधि से राशि रू0 100/– प्रति सदस्य शिविर स्थल पर जमा कराया जाना है । उक्त 100/– रूपये में से 25/– रूपये पाठ्यक्रम के पेपर हेण्डआउट, पेन एवं 25/– रूपये की राशि से स्वलपाहार चाय पान पर व्यय किया जा सकेगा।

2 शिविर का संचालन लीडर ट्रेनर (स्का/गा) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्का/गा) द्वारा किया जावेगा । सहायक के रूप में हिमालय वुड बैज /डी0ओ0सी0 (स्का/गा) को लिया जावेगा । जिस जिले में लीडर ट्रेनर (स्का/गा) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्का/गा) नहीं है वहाॅ ए0एस0ओ0सी0 स्वयं करें ।

3 सेल्फ लनिंग मॉडुलर शिविर में संचालक द्वारा देने वाले हेण्डआउट की फाईल पूर्व से ही आवश्यकता अनुसार तैयार कर शिविर स्थल पर दी जावें । हेण्डआउट प्रति विकास खण्ड 50 की संख्या में लेकर जावें एवं आवश्यकता पड़ने पर शिविर स्थल में छाया प्रति कराई जावें ।

–: निर्धारित पाठ्यक्रम :–

1 आंदोलन के आधार भूत तत्व।
2 स्काउट गाइड साहित्य की जानकारी।
3 आंदोलन का इतिहास (उत्पत्ति एव प्रचार)
4 आंदोलन की विभिन्न शाखायें।
5 स्काउट गाइड का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
6 युनिट लीडर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण ।
7 आंदोलन का संगठन ।
8 स्काउटिंग / गाइडिंग और समुदाय।

उक्त प्रतिभागियों से बेसिक शिविर हेतु संलग्न सहमति पत्र की पूर्ति करवाकर प्रतिवेदन के साथ 30.07.2018 तक भेजे। प्रतिवेदन में विभागवार पृाकि–पृथक सूची जिसमें क्र. /नाम/संस्था/ब्लाक/जिला/जन्मतिथि/कार्यरत विभाग/मो.न. के विवरण के साथ सूची प्रेशित करे।

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/ 1579 /रा0मु0/प्रशि.स्का./2018 भोपाल, दिनांक 25-6-18
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतमनगर भोपाल ।
2 आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ....(म0प्र0) ।
4 संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास ....(म0प्र0) ।
5 जिला सचिव/जिला संगठक/प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट/गाइड) ....(म0प्र0) की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिभागियों की नाम, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर सहित कम्प्यूटर पर टंकित कर प्रतिवेदन के साथ एक प्रति एवं एक साफ्ट कापी राज्य मुख्यालय के ई–मेल पर भेजे अन्यथा प्रतिवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
6 समस्त लीडर ट्रेनर (स्का/गा) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्का/गा) मध्यप्रदेश ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश